उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी वाद संख्या– 85 / 2024

State Bank of India, SARB Ranchi Vrs. M/s Hindustan Agencies Prop: Mr. Raj Kishore Kumar & Ors.

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
21/03/25		

–:: आदेश ::–

अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी State Bank of India, SARB Ranchi द्वारा Under Section–14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act -2002 के तहत् ऋणकर्त्ता 1. M/s Hindustan Agencies Prop: Mr. Raj Kishore Kumar, R/o Old Bazaar Kuju, City, P.S-Mandu, Kuju, Dist-Ramgarh, 2. Mr. Raj Kishore Kumar, S/o Mr. Sheo Narayan Saw, R/o Kuju Chowk, Purana Bazar, Near Geetanjali Cinema Hall, Dist-Ramgarh, 3. Mrs. Runi Devi, W/o Mr. Raj Kishore Kumar, R/o Kuju Chowk, Purana Bazar, Near Geetanjali Cinema Hall, Dist-Ramgarh के विरूद्ध गिरवी रखे गये सम्पति/भूमि निबंधन केवाला संख्या–2958, दिनांक–01.10.2013 से हासिल भूमि मौजा–कुजू थाना नं०–154 थाना–माण्डू खाता नं०–37, प्लॉट नं०–499, रकवा–06 डिसमील चौहद्दी उ०–जनक प्रसाद, द०–सुभाष प्रसाद अग्रवाल, पु०–नीज वो रास्ता, प०–मकान गणेश घांसी एवं केवाला संख्या–321, दिनांक–28.01.2015 से हासिल भूमि मौजा–कुजू थाना नं०–154 थाना–माण्डू खाता नं०–37, प्लॉट नं०–499, रकवा–06 डिसमील चौहद्दी उ०–लेख्यधारी नीज, द०–राजू प्रसाद, पु०–नीज लेख्यधारी वो रास्ता, प०–गणेश घांसी तथा भूमि पर बनी संरचना पर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु दायर आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए ऋणकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विषयगत वाद की कार्यवाही दिनांक–17.08.2024 को प्रारंभ की गई एवं संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया। वाद कार्रवाई की संपूर्ण प्रक्रिया में अपीलार्थी द्वारा कभी भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः दिनांक–24.02.2025 को अपीलार्थी को नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक–21.03.2025 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अंतिम मौका दिया गया। परन्तु अपीलार्थी वाद सुनवाई की निर्धारित तिथि दिनांक–21.03.2025 को न्यायालय में अनुपस्थित पाए गए। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को विषयगत वाद में अभिरूचि नहीं है।

अतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश IX, नियम 8 के तहत वाद की कार्यवाही को खारिज किया जाता है।

सूचित करें।

Digitally signed by CHANDAN KUMAR
Date: 2025.04.17 08:10:52 +05:30
Location: 192.168.76.197

Chandan 21/03/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 21/03/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।